

ई-अपशषिट प्रबंधन के लिये ड्राफ्ट अधिसूचना

प्रलिस के लिये:

ई-अपशषिट, एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक, ईपीआर।

मेन्स के लिये:

ई-अपशषिट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के लिये मसौदा अधिसूचना।

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन के ड्राफ्ट पर जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिये एक अधिसूचना जारी की है।

- भारत में **इलेक्ट्रॉनिक अपशषिट प्रबंधन** के लिये औपचारिक नियमों की एक सूची वदियमान है, इन नियमों की घोषणा पहली बार वर्ष 2016 में की गई और वर्ष 2018 में इसमें संशोधन किया गया था। ई-अपशषिट प्रबंधन ड्राफ्ट के नवीनतम नियमों के अगस्त 2022 तक लागू होने की उम्मीद है।
- इससे पहले मंत्रालय ने **प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021** को अधिसूचित किया था। इसमें वर्ष 2022 तक वशिषिट एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को पूरी तरह प्रतबंधित करने का प्रावधान किया गया है, जिनकी **"कम उपयोगिता और उच्च अपशषिट क्षमता"** है।

इलेक्ट्रॉनिक अपशषिट प्रबंधन के लिये ड्राफ्ट अधिसूचना:

- इलेक्ट्रॉनिक वस्तु:** अधिसूचना में लैपटॉप, लैंडलाइन और मोबाइल फोन, कैमरा, रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर और चिकित्सा उपकरण सहित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक वसितृत शृंखला नरिदषिट की गई है।
- ई-अपशषिट संग्रह लक्ष्य:** उपभोक्ता वस्तुओं का नरिमाण करने वाली कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के नरिमाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्ष 2023 तक उनके इलेक्ट्रॉनिक अपशषिट के कम-से-कम 60% को एकत्र किया जाए और इस लक्ष्य को वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 में क्रमशः 70% और 80% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाए।
 - कंपनियों को एक **ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण** कराना होगा और अपने वार्षिक उत्पादन और ई-अपशषिट संग्रह लक्ष्य को नरिदषिट करना होगा।
- EPR प्रमाणपत्र:** नियम कार्बन क्रेडिट के समान प्रमाणपत्रों में व्यापार की एक प्रणाली को लागू करते हैं, जो कंपनियों को अस्थायी रूप से कमी को पूरा करने की अनुमति देगा।
 - नियम **वसितारति नरिमाता उत्तरदायित्व (EPR)** प्रमाणपत्र हासिल करने वाली कंपनियों की एक ढाँचागत प्रणाली तैयार करते हैं।
 - ये प्रमाणपत्र कंपनी द्वारा एक वशिष वर्ष में एकत्र और पुनरचक्रति किये गए ई-कचरे की मात्रा को प्रमाणति करते हैं तथा एक संगठन अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद करने के लिये किसी अन्य कंपनी को इसकी अधशिष मात्रा को बेच सकता है।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था पर फोकस:** नए EPR नियम, पुनरचक्रण और व्यापार पर ज़ोर देते हैं।
 - यह **चक्रीय अर्थव्यवस्था** को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्य का अनुसरण करता है।
- जुर्माना:** जो कंपनियों अपने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें **जुर्माना** या 'पर्यावरण मुआवज़ा' देना होगा, लेकिन मसौदा इस जुर्माने की मात्रा को नरिदषिट नहीं करता है।
- कार्यान्वयन प्राधिकरण:** **केंद्रीय प्रदूषण नयितरण बोर्ड (CPCB)** इन नियमों के समग्र कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।
- राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी:** राज्य सरकारों को ई-कचरे को हटाने और पुनरचक्रण सुविधाओं के लिये औद्योगिक स्थान नरिधारति करने, औद्योगिक कौशल विकास करने तथा ई-कचरे के नरिाकरण और पुनरचक्रण सुविधाओं में लगे श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सौपी गई है।

ई-अपशषिट के बारे में:

■ परचिय:

- ई-अपशषिट इलेक्ट्रॉनिक-अपशषिट का संक्षपित नाम है और यह पुराने, अपरचलति, या छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संदर्भति करता है। इसमें उनके हस्सिसे, उपभोग्य वस्तुएँ और पुर्जे शामिल हैं।
- भारत में ई-अपशषिट के प्रबंधन के लिये कानून 2011 से लागू हैं। यह अनविर्य करते हुए किकेवल अधिकृत वधितनकर्त्ता और पुनर्र्चकरणकर्त्ता ही ई-अपशषिट एकत्त्र करेंगे। ई-अपशषिट (प्रबंधन) नयिम, 2016 को वर्ष 2017 में अधनियिमति कयिा गया था।
- घरेलू और वाणजियकि इकाइयों से कचरे को अलग करने, प्रसंस्रकरण तथा नपिटान के लिये भारत का पहला **ई-अपशषिट कलनिकि** भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थापति कयिा गया है।
- मूल रूप से **बेसल अभसिमय (1992)** में ई-अपशषिट का उल्लेख नहीं कयिा गया था लेकनि बाद में इसने वर्ष 2006 (COP8) में ई-कचरे के मुद्दों को शामिल कयिा।
 - नैरोबी घोषणा को खतरनाक कचरे के ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट के नयित्त्रण पर बेसल कन्वेंशन के COP9 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य ई-अपशषिट के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिये अभनिव समाधान तैयार करना है।

■ भारत में ई-अपशषिट के प्रबंधन से संबंधति चुनौतियौ:

- **लोगों की कम भागीदारी:**
 - इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशषिट का पुनर्र्चकरण नहीं होने का एक प्रमुख कारण यह था किकेउपभोक्ताओं ने उन्हें पुनर्र्चकरति नहीं कयिा।
 - हालाँकि हाल के वर्षों में वशिव भर के देश प्रभावी **'मरममत के अधिकार (Right to Repair)'** कानूनों को पारति करने का प्रयास कर रहे हैं।
- **बाल श्रम की भागीदारी:**
 - भारत में **10-14 आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख बाल श्रमकि** वभिनिन ई-अपशषिट गतविधियौ में लगे हुए हैं और वह भी वभिनिन यार्डों व पुनर्र्चकरण कारयशालाओं में पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के बिना।
- **अपरभावी वधिन:**
 - अधकिंश राज्ज प्रदूषण नयित्त्रण बोर्ड (SPCBs)/PCC वेबसाइटों पर सार्वजनिक सूचना का अभाव है।
- **स्वास्थ्य संबंधी खतरा:**
 - ई-कचरे में 1,000 से अधिक ज़हरीले पदार्थ होते हैं, जो मटिटी और भूजल को दूषति करते हैं।
- **प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव:**
 - असंगठति क्षेत्र के लिये ई-कचरे के नपिटान हेतु कोई स्पष्ट दशिया-नरिदेश नहीं हैं।
 - साथ ही ई-कचरे को प्रबंधति करने के लिये औपचारकि कदम उठाने हेतु इस कारय में लगे लोगों को लुभाने के लिये भी कसिी प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं कयिा गया है।
- **ई-कचरा आयत:**
 - वकिसति देशों द्वारा 80% ई-कचरा रीसाइकलकि के लिये भारत, चीन, घाना और नाइजीरयिा जैसे वकिसशील देशों को भेजा जाता है।
- **शामलि अधिकारियौ की अनच्छिा:**
 - नगरपालकिाओं की गैर-भागीदारी सहति ई-अपशषिट प्रबंधन और नपिटान के लिये ज़मिेदार वभिनिन प्राधकिरणों के बीच समन्वय का अभाव।
- **सुरक्षा के नहितिारथ:**
 - कंप्यूटरों में अक्सर संवेदनशील वयकतगित जानकारी और बैंक खाते के वविरण आदि होते हैं, इस प्रकार की जानकरयौ को रमिव न कयि जाने की स्थति में धोखाधड़ी की संभावना रहति है।

आगे की राह

- भारत में कई स्टार्टअप और कंपनियौ द्वारा अब इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा करने के साथ ही रीसाइकलकि का कारय शुरु कयिा गया है। हमें ऐसे बेहतर कारयान्वयन पद्धतियौ एवं समावेशन नीतियौ की आवशयकता है जो अनौपचारकि क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिये आवास व मान्यता प्रदान करें तथा पर्यावरण की दृष्टि से रीसाइकलकि लक्ष्य को पूरा करने में हमारी सहायता करें।
- साथ ही संग्रह दर को सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिये उपभोक्ताओं सहति प्रत्येक भागीदार को शामिल करना आवशयक है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. पुराने और परयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत/अव्यवस्थति नपिटान के कारण नमिनलखिति में से कौन-से ई-अपशषिट के रूप में पर्यावरण में नरिमुक्त होते हैं?

- 1- बेरलियम
- 2- कैडमियम
- 3- क्रोमियम
- 4- हेप्टाक्लोर
- 5- पारद
- 6- सीसा
- 7- प्लूटोनियम

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 3, 4, 6 और 7
- (b) केवल 1, 2, 3, 5 और 6
- (c) केवल 2, 4, 5 और 7
- (d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- कंप्यूटर सिस्टम में ज़हरीले रसायन- सीसा, कैडमियम, मरकरी, बेरिलियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रटिस्टेंट्स (बीएफआर), पॉलीविनाइल क्लोराइड और फास्फोरस यौगिक होते हैं। इनके अनुचित संचालन और दहन से हाइड्रोकार्बन मुक्त होता है जो जल नदियों को प्रदूषित करता है।
- सर्किट बोर्ड में पाए जाने वाली धातुएँ कैडमियम, एंटीमनी, सीसा/लेड और क्रोमियम हैं। कई फोटोकॉपीर, स्कैनर तथा फ़ैक्स मशीनों के स्वचि एवं लैंप में पारा मौजूद होता है। मॉनिटर में लेड भी पाया जा सकता है। अतः 2, 3, 5 और 6 सही हैं।
- कॉपर बेरिलियम मशीन धातु का उपयोग "सुपरगि मेमोरी" प्रदान करने के लिये किया जाता है जो नरितर, अबाधति वदियुत कनेक्शन सुनिश्चित करता है, जिसका अर्थ है उच्च प्रसंस्करण गति व व्यक्तगत कंप्यूटर, राउटर तथा इंटरनेट के साथ-साथ रडार, एवियोनिकस और रक्षा प्रणाली के लिये बेहतर प्रदर्शन। अतः 1 सही है।
- प्लूटोनियम एक्टिनाइड परिवार का एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील सथिटिक तत्त्व है जो यूरेनियम अयस्क में उपस्थित होता है और परमाणु विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने की क्षमता के कारण इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
- प्लूटोनियम के लगभग 15 समस्थानिक मौजूद हैं और ये सभी समस्थानिक रेडियोधर्मी हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर या उनके पुर्जों में नहीं किया जाता है। अतः 7 सही नहीं है।
- हेप्टाक्लोर एक ऑर्गेनोक्लोरिनि (साइक्लोडीन) कीटनाशक है जिसे पहली बार वर्ष 1946 में तकनीकी क्लोरडन से अलग किया गया था और इसका उपयोग मुख्य रूप से कसिनो द्वारा बीज अनाज तथा फसलों पर कीटों को मारने के लिये किया जाता था, साथ ही घर के मालिकों द्वारा इसका उपयोग दीमक को मारने/भगाने के लिये भी किया जाता था। अतः 4 सही नहीं है।

स्रोत: द द्रि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/draft-notification-for-e-waste-management>

